न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या – 14/2021

उनवान

पप्पू पुत्र नाथू जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद अजमेर।
–– प्रार्थी :– जरिये अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. अलवर पुत्री सेखा
2. सदीक पुत्री सेखा
3. सकूर पुत्र पीरू समस्त जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद
4. राज्य सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
5. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री गौतम टाँक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– दिनांक 21.12.22

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
409/148	2878	0.59
	697	0.99
	702	0.67
	702/3812	.110
	703	0.45
	706/3656	0.02
	707	1.50
	707/3814	0.08
	708	0.03
	709	0.40
	713	0.07
	714	0.43
	718/3797	
	723	0.5
	723/3494	
	724	
	727	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:51:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 स 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर दिया है। उक्त आराजी अविभाजित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अविभाजित आराजी पर अप्रार्थीगण बिना किसी कारण दखलदांजी कर रहे है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा हडपना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण का जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर दिया है। उभयपक्ष में पूर्व में मौखिक बंटवारा हो गया था। जवाबकर्ता ने कभी भी विभाजन हेतु मना नही किया है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की है। जिस पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आराजी मुतनाजा में से अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र बेचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त बेचान प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही कर दिया था। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 सहखातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा का मौके पर विभाजन हो गया है। जिसके अनुरूप भूमि का विक्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है उक्त आराजी पर उसका कोई हक व अधिकार शेष नही है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान नही किया है। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस एक पारिवारिक समझौते की छाया प्रति पेश की है किन्तु उक्त राजीनामा अपंजीकृत है। उक्त राजीनामा बाबत प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र व वाद में कोई तथ्य व कथन अंकित नही है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद अविभाजित आराजी को बेचान नही करने का है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। अप्रार्थी संख्या 3 सदभावी केता है जिसे पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्डड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 सदभावी केता है जिसे पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुश्तैनी भूमि से प्राप्त हिस्से का विक्रय किया है। विशिष्ट भू–भाग [illegible] नही किया गया है। अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:31:14 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होन वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नही होता है व अपूरणीय क्षति की सम्भावना भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्ध नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होगे।

आदेश :- अतः ग्राम भटियानी की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:51:14 IST
Reason: SelfAttested